पेज संख्या 1/5

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 06/14(प्राथमिक डिक्री)

अपीलांट

1. मनोहरसिंह पुत्र सुजान सिंह
   जाति राजपूत, उम्र 41 वर्ष निवासी बावतरा, तहसील सायला जिला जालोर।
2. हरिराम पुत्र तेजाजी, जाति चौधरी, उम्र 47 वर्ष निवासी केशवना, तहसील व जिला जालौर।

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. हिमताराम पुत्र रगाजी
2. अमरिया पुत्र हिमताजी
   जाति चौधरी, निवासी केशवना तहसील व जिला जालोर।
3. सोनाराम पुत्र राणीया सुथार
4. हंजाराम पुत्र राणीया सुथार
5. पूराराम पुत्र राणीया सुथार
6. खीमाराम पुत्र राणीया सुथार
7. झालाराम पुत्र राणीया सुथार
8. दूदाराम पुत्र अजबा सुथार
9. जगाराम पुत्र अजबा सुथार
10. विनोद पुत्र अजबा सुथार
11. ओम पुत्र अजबा सुथार
12. गटु बेवा अजबा सुथार
13. हरिसिंह पुत्र गणपत सिंह राजपूत
14. मानाराम पुत्र चौपाजी लुहार
15. मांगाराम पुत्र रामजी चौधरी
16. हड़माना पुत्र नरसा चौधरी
17. भोपाराम पुत्र मोडाराम रेबारी
18. झालाराम पुत्र मोडाराम रेबारी
19. कालूसिंह पुत्र उकाजी रावणा राजपूत
20. लक्ष्मण सिंह पुत्र करणसिंह राजपूत
21. नाथा पुत्र भीमा जांगीड़
22. मंगला पुत्र भीमा जांगीड
23. मादा पुत्र भीमा जांगीड
24. जेपा पुत्र दूदाजी रेबारी
25. पाबूराम पुत्र रगाजी
26. लाबूराम पुत्र निम्बाजी रेबारी
27. बाबराराम पुत्र भगाजी रेबारी
28. वेलाराम पुत्र भगाजी रेबारी
29. हुकम सिंह पुत्र भोपाल सिंह राजपूत
30. जोरसिंह पुत्र हुकम सिंह

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

31. कुईयाराम पुत्र निम्बाराम रेबारी
32. सवाराम पुत्र निम्बाराम रेबारी
33. दलपत सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह राजपूत
34. झालाराम पुत्र थानाजी रेबारी
35. रुपाराम पुत्र पूनमाजी रेबारी
36. कुईयाराम पुत्र जूजाजी रेबारी
37. जूठाराम पुत्र देवीजी चौधरी
38. मांगीलाल पुत्र मूलाजी खवास
39. लाबूराम पुत्र लच्छाजी रबारी
40. हकमाराम पुत्र प्रागाजी फौत के कायम मुकाम
    40/1 सुजाराम पुत्र हकमाजी
    40/2 मानाराम पुत्र हकमाजी
    40/3 हमीराम पुत्र हकमाजी
    40/4 चौथी बेवा हकमाजी
41. कालूसिंह पुत्र उकाजी
42. मोकाराम पुत्र नाराणाजी
43. लाखाराम पुत्र देवीजी रबारी
44. सवाराम पुत्र देवीजी रबारी
45. अगराराम पुत्र अजाजी रबारी
46. हब्ताराम पुत्र रगाजी रबारी
47. देशराराम पुत्र पूनमाजी रबारी
48. सवाराम पुत्र पूनमाजी रबारी
49. सालूराम पुत्र नाथाजी रबारी
50. लाखाराम पुत्र जूजा रबारी
51. मांगाराम पुत्र लच्छाजी रबारी
52. हमीराराम पुत्र दूदाजी रबारी
53. डायाराम पुत्र वेलाजी रबारी
54. संवलाराम पुत्र दलाजी रबारी
55. स्वाराम पुत्र रगाजी रबारी
56. पबूराम पुत्र रगाजी रबारी
57. मसराराम पुत्र मनाजी रबारी
58. कालाराम पुत्र सवाजी रबारी
59. छोगाराम पुत्र राणाजी रबारी
60. वचनाराम पुत्र ओबाजी रबारी
61. वचनाराम पुत्र दीपाजी रबारी
62. भोलाराम पुत्र भूराजी रबारी
63. श्रीमती तीजू पत्नी चौथाराम
64. पाबूराम पुत्र सवाजी रबारी
65. डामराराम पुत्र अजाजी
66. लखाराम पुत्र भलाजी रबारी
67. लाबूराम पुत्र हेमाजी रबारी
68. हंजाराम पुत्र हराजी चौधरी

समस्त निवासीगण केशवना तहसील व जिला जालोर।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

69. मदनसिंह पुत्र हेमसिंह राजपूत,
निवासी सांफाड़ा, तहसील व जिला जालोर।
70. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जालोर।
71. राजाराम पुत्र मानाजी चौधरी केशवना
72. लाछी देवी पत्नी डायाराम चौधरी निवासी केशवना।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
1. श्री निखिल दवे, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री गुणेशसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. श्री चेनाराम पटेल, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्टस
4. श्री मधुसुदन जी व्यास, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्टस

–: निर्णय :–

दिनांक : 23-09-2021

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर जालोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 48/20007 बअनवान हिमताराम बनाम सोनाराम आदि में पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.05.2012 के विरुद्ध इस न्यायालय म्याद बाहर प्रस्तुत हुई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 2 ने रेस्पोडेण्ट संख्या 03 से 72 के विरुद्ध एक वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53 ,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी मौजा ग्राम केशवना के खसरा नंबर 1346,1347,1348,1349,1350,1351,1352,1353, 1354 व 1355 कुल खसरा नम्बरान 10 कुल रकबा 9.31 हैकटर की आयी हुई है तथा उपरोक्त आजारी में खसरा नं. 1350 रकबा 0.05 हैक्टर गैर मुमकिन आबादी व खसरा नं. 351 रकबा 1.73 हैक्टर में से 0.14 हैक्टर खसरा नं. 1350 से लगता भू भाग है। जिस पर रेस्पोडेण्ट नं. 1 व 2 कब्जा वक्त खरीद से है। कुल रकबा 9.31 हैक्टर में 1/8 हिस्से में हरिसिंह पुत्र गणपत सिंह, हिमताराम पुत्र रगाजी एवं हनुमानाराम से समालात में जरिये रजिस्ट्ररी खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था। वादपत्र के साथ नक्शा शैड्यूल अ में लाल रंग से बातयी गयी है जो मिट्स एवं बाउण्ड्स के जरिये नक्शा शैड्यूल अ में लाल रंग की भूमि वादीगण को दिलाई जावें । अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 10.05.212 को प्राथमिक डिक्री प्रस्तुत की है। जिसकी विरुद्ध ये अपील पेश हुई तथा धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र भी पेश किया इसके अलावा अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे । इसका प्रार्थना पत्र 96 सी0पी0सी. का पेश किया तथा आदेश 41 नियम 5 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र भी पेश किया है। अपील मुख्य रुप से

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

पालना रिपोर्ट के समय को अपीलाण्ट को मौके पर नहीं बुलाने का एतराज बताया है। धारा 5 व 96 सी0पी0सी0 के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है अपील स्वाकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर जालोर का प्राथमिक डिक्री अपास्त की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलाण्ट स्वयं अधीनस्थ न्यायायल में पक्षकार नहीं थे उन्होने स्वयं ने धारा 96 सी.पी.सी का प्रार्थना पत्र पेश किया है तो प्राथमिक डिक्री की पालना करते समय अपीलाण्ट को बुलाया जाना आवश्यक नहीं था अतः अपीलाण्ट की आपत्ति खारिज की जावे। तथा धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया जावे । तथा धारा 5 लिमिटेशन एक्ट की प्रार्थना पत्र में दिनांक 10.08.2014 को रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 ने अपीलाण्ट को धमकी दी तब जानकारी हुई इसके सम्बधं में दोनो अपीलाण्टों के शपथ पत्रों में ऐसा उल्लेख ही नहीं किया गया तथा धमकी गांव के किस व्यक्ति के सामने दी गई उस व्यकित का नाम भी डिस्कलोज नहीं किया है। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य अपूर्ण व सारहीन होने से विश्वसनीय नहीं है। अतः म्याद के बिन्दु पर अपील खारिज की जावे।

रेस्पोडेन्ट विद्वान अधिवक्ता ने यह भी बताया की अपीलाण्ट्स संख्या 01 व 02 द्वारा खरीदी गई जमीन का सम्पूर्ण बेचान जरिये रजिस्ट्ररी दिनांक 05.06.2020 को कर दी है। अतः अपीलाण्ट का अब अपील ग्रस्त सम्पती में को हित शेष नहीं रहा है। पिछले करीब डेड़ साल के अवधि में भी खरीददार को पक्षकार नहीं बनाया है। इस आधार पर अपील खारिज की जावें।

अपीलाण्ट ने इस न्यायालय से 02.09.2014 को स्थगन आदेश प्राप्त किया था लेकिन आदेश 39 नियम 03 सी0पी0सी0 की पालना में कुल रेस्पोडेन्ट्स 72 को रजिस्टर्ड ए.डी. के द्वारा स्थगन आदेश की प्रति , अपील की प्रति, सम्मन नहीं भेजे गए है तथा लम्बे समय से अपीलाण्ट तलबी भी नहीं करवा रहें साथ ही सम्मन तलबाना भी पेश नहीं किया है इस आधार पर अपील को खारिज करने का निवेदन किया है।

रेस्पोडेन्ट की बहस का उत्तर देते हुए अपीलाण्ट के वकील ने बताया की अपीलग्रस्त कुल भूमि का बैचान अवश्य किया लेकिन रेस्पोडेन्ट हिम्मताराम वगैरा ने उस बैचाननामे को निरस्त करने का दावा जिला न्यायाधीश जालोर में पेश किया है। अतः यह अपील खारिज नहीं कि जा सकती है। रेस्पोडेन्ट ने जवाब देते हुए बताया की सिविल कोर्ट में अवश्य पेश हुआ लेकिन उस दावा की प्रकृति व अनुतोष व बिनायदावा अलग है तथा इस अपील अनुतोष बिनायदावा अलग है यह मूल दावा केवल बंटवाड़ा है। अतः सिविल कोर्ट में दावा चलता है या नहीं चलता उससे इस अपील पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया। सबसे पहले धारा 5 के प्रार्थना पत्र निर्णय किया जाना उचित है इस सम्बंध मे न्यायालय का मत है कि धारा 5 के प्रार्थना पत्र मे तथ्य अपूर्ण है। शपथ पत्र में भी अंकित किये गये तथ्य अपूर्ण है।ऐसे तथ्यों पर विश्वास नहींकिया जा सकता है। अतः धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। तथा धारा 96 सी0पी.सी. के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट पक्षकार नहीं थे अतः उन्हें

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अपील पेश करने को कोई अधिकार नहीं है। अतः धारा 96 सी.पी.सी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

चूंकि अपीलाण्ट नें सम्पूर्ण भूमि का बेचान किया जाना स्वीकार है। ऐसी स्थिति में उनका हक निहित नहीं होने से अपील खारिज किये जाने योग्य है।

तथा अपीलाण्ट ने आदेश 39 नियम 3 सी0पी0सी0 की पालना नही की है व लम्बे समय से सम्मन तलबाना पेश नहीं किया है। अपीलाण्ट का रवैया लापरवाह पूर्ण रहा । इस आधार पर अपील खारिज योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीवार सम्पूर्ण साक्ष्य का विवेचन करने के बाद निर्णय पारित किया है जिसमें हस्तक्षेप किया जाना न्यायालय हाजा उचित नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को समपुष्ट किया जाता है। साथ ही पूर्व में जारी स्थगन आदेश भी निरस्त किया जाता है । यदि सम्बधिंत जमाबंदी में स्थगन का नोट यदि लगा हो तो हटाया जावे।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 06/2014 सारहीन होने से खारिज की जाती है। सहायक कलक्टर जालोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 48/20007 बअनवान हिमताराम बनाम सोनाराम आदि में पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.05.2012 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 23.09.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन नोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली